

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

03 / 2019
13.12.2019

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

- 1—इब्राहिम पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी लक्ष्मीपुरा (पीनणी) तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०
2—शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी लक्ष्मीपुरा (पीनणी) तहसील मालपुरा जिला टोंक राज०

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

- उपस्थिति :- (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अप्रार्थीगण

अभिशांषा

दिनांक 17.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 402 रकबा 240 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम श्योपुर तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै०मु० नदी भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.11.1984 को रकबा 2 बीघा अली हुसेन के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 10.06.1985 को जरिए नामान्तरकरण सं० 247 से गैर खातेदारी दी गई एवं दिनांक 20.08.1988 से नामान्तरकरण सं० 273 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 402/18 रकबा 2 बीघा नामान्तरकरण संख्या 379 से कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट निवासी पीनणी को एवं नामान्तरकरण संख्या 506 से कालूराम भाट ने उक्त भूमि इब्राहिम, शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी बंजारा ढाणी तन पीनणी लक्ष्मीपुरा के नाम जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ एवं जरिये नामान्तरकरण संख्या 512 से खाता राहिन बैंक ऑफ बडोदा शाखा मालपुरा मूर्त स्वीकार हुआ है। नकल जमाबंदी सम्वत 2066-2069 वाके ग्राम श्योपुर मे अकिंत नोट अनुसार खसरा नम्बर 402/18 रकबा 2 बीघा भूमि इब्राहिम, शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी बनजारो की ढाणी तन पीनणी (लक्ष्मीपुरा) तहसील मालपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी०बी०सिविल जनहित याचिका सं० 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की



सुखराम खोखर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एवं भरे गये नामान्तरकरण सं० 247,273,379,506 व 512 को निरस्त करने हेतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै०मु० नदी भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार नदी दर्ज थी, उक्त नदी भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी०बी०सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तरकरण संख्या 247 गेर खातेदारी एवं खातेदारी का नामान्तरकरण सं० 373 तथा 379,506 तथा 512 निरस्त कराने हेतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 402/18 रकबा 2 बीघा कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.04.2011 से क्रय की है। भूमि मौके पर गै०मु० नदी नहीं है, काबिल काश्त है। उक्त आवंटन पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है तथा धारा 16 राज० टी०एक्ट के प्रावधान भी इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। भूमि की किस्म बारानी-3 होने से अप्रार्थी (अली हुसेन)को पहले गैर खातेदारी प्रदान की गई बाद में खातेदारी दी गई है। उसके उपरान्त प्रार्थी ने क्रय की है। आवंटन बारानी भूमि का किया गया है। आवंटन 30 वर्ष पुराना है तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 16 में बारानी-3 भूमि को आवंटन करना निषेध नहीं माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 402 गै०मु० नदी भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 10.11.1984 को 2 बीघा भूमि अली हुसेन पुत्र बोदू जाति मुसलमान बंजारा निवासी लक्ष्मीपुरा के नाम आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में अली हुसेन को दिनांक 10.06.1985 को जरिए नामान्तरकरण सं० 247 गेर खातेदारी एवं दिनांक 20.08.1988 को नामान्तरकरण सं० 373 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये। विवादित उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 402/18 रकबा 2 बीघा नामान्तरकरण संख्या 379 से कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट निवासी पीनणी को एवं नामान्तरकरण संख्या 506 से कालूराम भाट ने उक्त भूमि इब्राहिम, शब्बीर पुत्र छोटू खां जाति बनजारा निवासी बंजारा ढाणी तन पीनणी लक्ष्मीपुरा के



बतिरिक्त जिजा डलेक्टर
दोके

म जरिये विक्रय पत्र खातेदार के नाम स्वीकार हुआ एवं जरिये नामान्तकरण संख्या 512 से खाता राहिन बैंक ऑफ बडोदा शाखा मालपुरा मूर्त स्वीकार हुआ है।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 402/18 रकबा 2 बीघा कालूराम पुत्र रामाजी जाति भाट से अप्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 18.04.2011 से कय की है। भूमि मौके पर गै0मु0 नदी नही है।

चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 नदी दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी अली हुसेन ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 10.11.1984 को विवादित भूमि अली हुसेन के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2-8-2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि अली हुसेन पुत्र बोदू खां जाति बंजारा निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 38/1984 दिनांक 10.11.1984 द्वारा खसरा नम्बर 402/12 रकबा 2 बीघा भूमि वाके ग्राम श्योपुर मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री अली हुसेन के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 247 दिनांक 10.06.1985 एवं खातेदारी का नामान्तकरण सं0 373 दिनांक 20.08.1988 तथा अप्रार्थीगण व अन्य के पक्ष मे स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 379,506,512 को निरस्त कर हाल आराजी खसरा नम्बर 402/18 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम श्योपुर को पुनः गै0मु0 नदी भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोक

